न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 226 / 2016

भैराराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवाल निवासी चक 9 एफ माझीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना। —रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मुकाम बीकानेर

दिनांक 02.03.1982

उपस्थितिः–

श्री मनोहरलाल अरोड़ा अभिभाषक अपीलांट

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 23.01.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 02.03.1982 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को आवंटित भूमि चक 10 के.पी.डी. के मु.नं. 218 / 50, 218 / 42 की 33.16 बीघा भूमि का आवंटन खारिज किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को आवंटन का पात्र मानते हुए विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 26.09.1980 को किया गया था आवंटन की सूचना अपीलांट को प्राप्त नहीं हुई। अपीलाधीन आदेश के द्वारा विवादित भूमि का आवंटन इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलांट ने पट्टा एव कब्जा प्राप्त नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व

23/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलाट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं न ही अपीलाट पर कोई नोटिस तामील हुआ। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ़ करते हुए अपील अन्दर मियाद की जाकर विवादित भूमि के स्थान पर अन्य भूमि आवंटित की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है इतने विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आवंटन के पश्चात अपीलांट ने न तो कब्जा प्राप्त किया और न ही पट्टा प्राप्त किया। ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय ने आवंटन खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने यह अपील आदेश दिनांक 02.03.1982 के विरूद्ध दिनांक 30.08.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खंडन रेस्पो. द्वारा प्रत्यत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नही किया है इसके अलावा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय आवंटन अधिकारी छतरगढ के निर्णय दिनांक 02.03.1982 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं लेने से आवंटन खारिज किया जबकि अपीलांट को आवंटन की सूचना ही प्राप्त नहीं हुई। अतः अधी.न्यायालय का आवंटन निरस्ती का आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली तलब की गई जो बावजूद तलबी तहरीर पत्रावली प्राप्त नहीं हुई। अतः अपीलांट अभिभाषक द्वारा अधी.न्यायालय की

23/1/18

अपील प्राधिकारी

पत्रावली की सत्यापित प्रतियां पेश की उसे देखकर निर्णय करने का निवेदन किया। प्रस्तुत अधी. न्यायालय की पत्रावली की सत्यापित आदेशिका दिनांक 26.09.1980 का पठन है कि आज दिनांक 26.09.80 को सलाहकार समिति के समक्ष जलसा आम में लॉटरी निकाली गई। प्रार्थी के नाम चक 10 के.पी.डी. के मु. नं. 218/42 व 218/50 की 33.16 बीघा की लॉटरी निकाली गई इस भूमि की कुल कीमत..... रूपये होगी। प्रार्थी को लॉटरी प्रणाली द्वारा आवंटित भूमि का निर्धारित प्रपत्र में आवंटन आदेश जारी किया जाकर सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जावे। पत्रावली बाद तरतीव तकमील दफ्तर दाखिल हो। सायल को ..... से कब्जा लेने हेतु सूचित किया गया। फर्द अहकाम से आवंटन होना प्रमाणित है परन्तु अपीलांट को कब्जा लेने से सम्बन्धित कालम खाली होना दर्शाया है यथा सायल को दिनांक ———से ———तक कब्जा लेने हेतु सूचित किया गया दर्शाया की आदेशिका से स्पष्ट है कि कब्जा लेने की तहरीर का इन्द्राज नहीं है साथ ही फर्दअहकाम की अगली आदेशिका दिनांक 12.01.1982 में भी अंकित किया गया है कि प्रार्थी (अपीलांट) को पुख्ता आवंटन की सूचना जरिये नोटिस दी गई जो तामील नहीं है से स्पष्ट है कि अपीलांट को पुख्ता आवंटन उसे सुने बिना ही खारिज किया गया है जैसा कि कब्जा लेने के अभाव में आवंटन खारिज के सन्दर्भ नियम राजस्थान उपनिवेशन (Allotment and sale of government Land in the Indira Gandhi Canal colony Area) Rules 1975 के नियम 13(8) की Bare reading है कि 13(8) The allotment order shall be issued by the Alloting authority to the allottee in the prescribed form xii through a registered letter with AD. The allotment shall be cancelled if the allottee does not turn up and take possession of the allotted land within three months from the service of allotment order. इस Bare reading के अनुसार आवंटन खारिज करने की conditions में आवंटन आदेश की तामिली आज्ञापक है इसके लिए रजिस्टर्ड एडी से तामिली की प्रकिया दर्शाई जिसमें आवंटन आदेश की service की तिथी से 3 माह की मियाद अवधि शुरू होती है परन्तु पत्रावली पर यह तथ्य अंकित है कि पुख्ता आवंटन की सूचना की service नहीं हुई है। अतः नियम 13(8) के आज्ञापक प्रावधान का

23/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उल्लघन कर आवंटन खारिज किया जाना प्रतीत होता है, जैसा कि अपीलांट अनपढ़ होकर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसे सुना नहीं गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। यही अपीलांट के आवंटन के खारिजी के बाद सन्दर्भ आराजी किसी अन्य को आवंटन होना जाहिर किया है तथा अपीलांट की पात्रता आवंटन सलाहकार समिति द्वारा परिक्षित है जिसमें कोई कमी नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है कि आवटन अधिकारी मूल पत्रावली को तलब कर इस न्यायालय द्वारा सत्सापित छाया प्रतियों के आधार पर किया गया विवेचन का मिलान कर सही पाया जाना परः–

(A) अपीलांट की परिक्षित पात्रता अनुसार विशुद्ध रकबा राज की पहचान कर आवंटन योग्य निर्बाध रूप से कब्जा देने लायक भूमि के आवंटन की कार्यवाही करे।

(B) चूंकि आवंटन वैकल्पिक आवंटन होगा परन्तु आवंटित भूमि की कीमत आवंटन की तिथी से आज दिनांक तक 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से राजकोष में जमा करवाना सुनिश्चित करे।

(C) आवंटन अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस आवंटन के बदले में अपीलांट को अन्यत्र कोई भूमि आवंटन नहीं हुआ है।

उपरोक्त निर्देशो के साथ अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/18

(प्रेमाराम परिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर